न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रूक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
40/अपील/18	21.02.2018	09.10.2019

रामनारायण मीणा आ0 गोकुल जाति मीणा,
निवासी ग्राम मजरा छप्पनपुरा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजाराम आ. खेम जी जाति रेबारी,
   निवासी ग्राम रेबारपुरा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री जगदीश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री रामकुमार दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

यह अपील तहसीलदार, इन्द्रगढ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 02.03.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय निर्णय की पालना में सीलिंग सरप्लस सिवायचक भूमि का वापस भूमिधारी के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 488/1 एवं 488/2 वर्तमान खसरा संख्या 884, 885, 886 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में विस्थित है। उक्त भूमि पूर्व में मोहनलाल आ. धूलीलाल एवं नाथूलाल आ. रामचन्द्र के नाम एलोट हुई थी, उनके द्वारा सरेन्डर करने पर सिवायचक दर्ज हो गई थी। अपीलांट रामनारायण मीणा भूतपूर्व सैनिक है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि पर अथक परिश्रम कर भूमि सुधार कार्य करते हुये फसल प्राप्त करता चला आ रहा है एवं अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है, जो पेनाल्टी भी जमा करवाता रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से सक्षम अधिकारियों को अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु पत्राचार किया जाता रहा है। इसके बावजूद भी रेस्पो.सं. 1 द्वारा रेस्पो.सं. 2 से मिलीभगत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 02.03.2017 अपने पक्ष में खुलवा लिया, जो विधान के सर्वथा विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त भूमि पर अपने नाम आवंटन प्रकिया के तहत तहसीलदार इन्द्रगढ से सम्पर्क करने पर दिनांक 24.1.18 को जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो.सं.1 के पक्ष में खोला जा चुका है। तब दिनांक 25.1.18 को नकल प्रार्थना पत्र पेश करने एवं नकल दिनांक 29.01.18 कों प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा सभी दस्तावेज को देखने के बाद यहां अपील पेश करने की सलाह दिये जाने पर यह अपील दिनांक 20.02.18 को बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई। उक्त अवधि को मुजरा देने पर अपील अन्दर अवधि पेश हुई है। देरी कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के इस अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम बनावटी एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलांटस को प्रारम्भ से ही जानकारी थी। इसके बावजूद अपीलांट ने यह अपील विलम्ब से पेश की है, जिसका अपीलांट द्वारा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया, ऐसे में इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। आगे अपील में दौराने बहस गुणावगुण पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के निर्णय दिनांक 27.1.17 की पालना में तहसीलदार इन्द्रगढ

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.3.17 के क्रम में नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा तस्दीक किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कानूनी बाधा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग सिवायचक लगानी दर्ज रेकार्ड है, इससे पूर्व यह भूमि रेस्पो.सं.1 की खातेदारी भूमि थी, जो सीलिंग सरप्लस घोषित कर दिये जाने से सिवायचक दर्ज रेकार्ड हुई, जिसे न्यायालय के निर्णय से पुनः भूमिधारी को लौटाये जाने के आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होना बताते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अभिभाषक रेस्पो0 ने अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का परीक्षण मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 02.03.17 की जानकारी दिनांक 24.1.18 को प्राप्त होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम में अंकित किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तुत अपील में विलम्ब के संबंध में अपीलांट रामनारायण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अपील जहां तक पूर्ण रूप से सारहीन नहीं हो, उसका निर्णय गुणावगुणों पर किया जाना चाहिये। लिहाजा हस्तगत अपील का निस्तारण गुणावगुणों के आधार पर किया जाना उचित समझते है।

गुणावगुणों पर अपील का परीक्षण किये जाने हेतु पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा संख्या 752, 762, 760, 777, 883, 884, 885, 886, 1003 कुल किता 9 कुल रकबा 8.37 हैक्टेयर सीलिंग सिवायचक लगानी भूमि को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के पत्र दिनांक 27.01.17 एवं तहसीलदार इन्द्रगढ के पत्र दिनांक 27.02.17 एवं 01.03.17 की पालना में उक्त खसरा संख्या 1003 रकबा 0.60 में से 0.06 हैक्टेयर भूमि को छोडकर उक्त खसरा संख्या 1003/1 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि सहित कुल किता 9 कुल रकबा 8.31 हैक्टेयर भूमि वापस भूमिधारी राजाराम आ0 खेम जी रेबारी के नाम दर्ज रेकार्ड की गई। इस पर अपीलांट द्वारा भूमि खसरा संख्या 884, 885, 886 पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुये उक्त नामान्तरकरण खारिज किये

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

जाने का निवेदन किया गया, किन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। वैसे भी अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है, ऐसे में मूल आदेश नायब तहसीलदार लाखेरी का नहीं होकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी का है, जिससे असंतुष्ट होने की दशा में अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय निर्णय के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी, किन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है, अपीलांट यह भी प्रमाणित नही कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण किस प्रकार विधि विरूद्ध है, अपीलांट यह भी स्पष्ट नहीं कर सका।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी के निर्णय की पालना में तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा जारी आदेश के क्रम में भूमिधारी के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जिसमें कोई विधिक दोष प्रतीत नहीं होता है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 09.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी